



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 193 राँची, बुधवार,

29 मार्च, 2023 (ई०)

पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग

अधिसूचना

28 मार्च, 2023

सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब गठन एवं संचालन मार्गदर्शिका

संख्या- 1@ca&02-06@22@d 06--राज्य में खेल संस्कृति को सुदृढ़ करने तथा राज्य के ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा को निखारने और आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने के लिए झारखण्ड सरकार के अधीन प्रत्येक गाँव में ग्राम स्तरीय "सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब" के गठन एवं "सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब योजना" संचालन से सम्बन्धित मार्गदर्शिका निम्नवत हैं:-

1. विभिन्न स्तरों पर सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब का गठन:-

- ग्राम स्तर पर एक आम सभा आहूत की जायेगी। आम सभा "सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब" के गठन हेतु एक अस्थायी समिति का गठन करेगी। यह अस्थायी समिति गाँव के 40 वर्ष तक आयु वर्ग के सारे युवाओं को "सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब" का सदस्य बनायेगी। ये सदस्य निर्वाचन के द्वारा सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों का चयन करेंगे।

- "सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब" के पदधारक की उम्र **18** वर्ष से **40** वर्ष तक की होगी।
- "सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब" के निर्वाचित पदाधिकारियों में एक ही परिवार या रक्त संबंध के व्यक्तियों का एक से अधिक पदों पर निर्वाचन मान्य नहीं होगा।
- ग्राम स्तर पर उपर्युक्त प्रक्रिया के तहत गठित "सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब", संस्था निबंधन अधिनियम- **1860 (Society Registration Act 1860)** के अन्तर्गत अपना निबंधन करायेंगे।
- एक ग्राम के अन्तर्गत आने वाले सभी युवा (अधिकतम उम्र **40** वर्ष तक) अपने गाँव में "ग्राम सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब" का गठन कर "ग्राम स्तरीय निबंधित सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब" से जुड़ेंगे।
- प्रखण्ड के सभी ग्रामों के "सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब" के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी के सदस्यगण बैठक कर "प्रखण्ड स्तरीय सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब" का गठन करेंगे। निर्वाचन के द्वारा "प्रखण्ड स्तरीय सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब" के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का निर्वाचन करेंगे।
- प्रखण्ड स्तर पर उपर्युक्त प्रक्रिया के तहत गठित "प्रखण्ड स्तरीय सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब", संस्था निबंधन अधिनियम - 1860 (Society Registration Act-1860) के अन्तर्गत अपना निबंधन करायेंगे।
- एक जिले के सभी "प्रखण्ड स्तरीय सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब" जिला स्तर पर बैठक कर के "जिला स्तरीय सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब" का गठन करेंगे। निर्वाचन के द्वारा "जिला स्तरीय सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब" के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का निर्वाचन करेंगे।
- जिला स्तर पर उपर्युक्त प्रक्रिया के तहत गठित "जिला स्तरीय सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब", संस्था निबंधन अधिनियम- 1860 (Society Registration Act-1860) के अन्तर्गत अपना निबंधन करायेंगे।
- हर स्तर की कार्यकारिणी के सदस्यों के रूप में सांस्कृतिक, कला, खेलकूद, विकास कार्य, कौशल विकास अथवा तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ या जानकार युवाओं को तीन से चार की संख्या में सर्वसम्मति से मनोनीत किया जा सकता है।
- "झारखण्ड खेल प्राधिकरण" राज्य स्तरीय सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब की भूमिका निभायेगा।

2. सदस्यों की पंजी:-

प्रत्येक 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब' अपने सदस्यों की पंजी संधारित करेगी जिसमें उनका पूरा नाम, पता और व्यवसाय उल्लिखित होगा एवं उस पर प्रत्येक सदस्य का हस्ताक्षर होगा। यदि सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब का कोई सदस्य अपना पता बदलता है तो इसकी सूचना सचिव को देनी होगी जो सदस्यों की पंजी का आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण करवायेंगे। फिर भी यदि कोई सदस्य सचिव को अपने बदले पता की सूचना नहीं देता है, तब सदस्यों की पंजी में अंकित उनका पूर्व पता ही सही पता माना जायगा।

3. 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब की सदस्यता निम्न कारणों से समाप्त होगी:-

- (i) 40 वर्ष से अधिक उम्र होने पर;
- (ii) मृत्यु, त्यागपत्र, दिवालिया अथवा पागल घोषित होने पर, अथवा नैतिक कदाचार के अपराध में दोषी पाये जाने की स्थिति में;
- (iii) सदस्य के द्वारा स्वयं 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब हेतु कार्य करने से इन्कार करने अथवा उनके नियोक्ता द्वारा 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब में कार्य करने की अनुमति देने से इन्कार करने अथवा अनुमति वापस लेने की स्थिति में;
- (iv) जब कोई अध्यक्ष से अनुपस्थिति के संबंध में अनुमति लिये बिना सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब की तीन (3) लगातार बैठकों में भाग नहीं ले;

4. 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब की आम सभा में तीन चौथाई बहुमत से किसी सदस्य की सदस्यता को समाप्त करने अथवा कभी भी हटाने का अधिकार होगा। इस प्रकार के समापन के कारण हुई रिक्ति को इस नियमावली के अधीन प्रावधानों के अनुसार भरा जायगा।

5. त्यागपत्र:-

'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब का कोई भी सदस्य/पदधारक/कार्यकारिणी का सदस्य सूचना देकर 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब की सदस्यता/पद से त्यागपत्र दे सकता है एवं उसका त्यागपत्र उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि से अध्यक्ष द्वारा उसे स्वीकृत किया जाय।

6. सदस्य का कार्यकाल:-

उक्त वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब के निर्वाचित सदस्य अपने चयन की तिथि से 3 वर्षों या 40 वर्ष की उम्र पूरी करने तक अपने पद पर बने रहेंगे।

7. आकस्मिक रिक्ति को भरना एवं इसका कार्यकाल:-

आकस्मिक रिक्ति होने पर, वह रिक्ति उसी रूप में भरी जायेगी जैसे मूल रिक्ति के लिए की जाती है एवं वह नियुक्ति 3 साल की अवधि के शेष भाग के लिए होगी।

8. सदस्यों के कृत्यों का वैधीकरण:-

'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब' अपने किन्हीं पदधारी/कार्यकारिणी के सदस्य के पद की रिक्ति के बावजूद कार्यरत रहेगा और 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब का कोई कृत्य, निदेश और कार्यवाही मात्र इसमें रिक्ति अथवा निर्वाचन में हुई किसी त्रुटि के कारण अमान्य नहीं होगा।

9. 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब योजना' की विवर्णिका:-

- "सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब" खेलकूद, सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक, कला, विकास कार्य, कौशल विकास एवं अन्य लोक कल्याणकारी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।
- सांस्कृतिक:- "सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब" अपने क्षेत्र की हरेक सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।
- "सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब" स्थानीय पर्व त्योहारों की विशिष्ट परम्पराओं को संजोएँ रखने का प्रयास करेंगे।

- “सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब” उस क्षेत्र की विशिष्ट नृत्य कला, गायन कला, वाद्य वादन कला, चित्रकला, नाट्य कला आदि के अनुरक्षण, संवर्धन एवं परिवर्द्धन करने का विधिवत प्रयास करेंगे।
- “सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब” अपने क्षेत्र के ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के धरोहर के संरक्षण एवं विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।
- “प्रखण्ड स्तरीय सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब” एवं “जिला स्तरीय सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब” अपने प्रखण्ड/जिला की नृत्य, गायन, चित्रकला, वाद्य वादन कला, नाट्य कला की विशिष्ट युवा प्रतिभा को तराशने, निखारने, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करवाने हेतु विधिवत प्रयास करेगा।
- सामाजिक:- “सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब” समाज में व्याप्त शराबखोरी, नशापान, डायनप्रथा, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, कन्या अशिक्षा आदि के खिलाफ निरन्तर अभियान चलायेगा।
- “सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब” जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्मस्थान के भेदभावों को दूर कर युवाओं में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता एवं बंधुत्व के भाव जगाने हेतु निरन्तर प्रयास करेगा।
- “सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब” विभिन्न महापुरुषों की जयंतियों पर लेखन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। भारतीय संविधान आधारित विभिन्न विद्वानों के व्याख्यान आयोजित करेंगे।
- साहित्यिक:- “सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब” अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण साहित्यकारों एवं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचन्द, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला जैसे राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों के जन्म दिन के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे।
- “सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब” अपने क्षेत्र की विशिष्ट मातृभाषाओं के संरक्षण, संवर्द्धन एवं परिवर्द्धन का हर संभव प्रयास करेंगे।
- “सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब” अपने क्षेत्र विशेष की भाषा की लिखित/मौखिक साहित्य के अभिलेखन, प्रकाशन, प्रचार-प्रसार में महती भूमिका निभायेंगे।
- खेलकूद:- “सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब” राज्य में फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स एवं अन्य देशज पारंपरिक खेलों को चरणबद्ध तरीके से लोकप्रिय बनाने का कार्य करेंगे।
- “ग्राम स्तरीय सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब” गाँवों में फुटबॉल/हॉकी या अन्य अभिरुचि के खेलों के पुरुष एवं महिला टीम का गठन करेंगे। इन टीमों के गठन में “ग्राम स्तरीय सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब” मार्गदर्शी की भूमिका निभायेंगे।
- “ग्राम स्तरीय सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब” अपने पदाधिकारियों और कार्यकारिणी के सदस्यों के माध्यम से चयन कर एक “ग्राम स्तरीय खेलकूद प्रोत्साहन समिति” का गठन करेंगे।
- “ग्राम स्तरीय खेलकूद प्रोत्साहन समिति” ग्राम स्तर पर ग्रामीण सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लबों की फुटबॉल/हॉकी या अन्य खेलों की प्रतियोगिताएँ आयोजित करेगी। ये सभी मैच लीग मैच के रूप में खेले जायेंगे। इन मैचों के क्रम में ग्राम स्तर की टीम के लिए उपयुक्त खिलाड़ियों का चयन किया जायेगा।

- “प्रखण्ड स्तरीय सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब” पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों के माध्यम से चयन कर “प्रखण्ड स्तरीय खेलकूद प्रोत्साहन समिति” का गठन करेंगे।
- “प्रखण्ड स्तरीय खेलकूद प्रोत्साहन समिति” प्रखण्ड स्तर पर ग्रामों की विभिन्न खेलों की टीमों का लीग मैच आयोजित करेगी। इन मैचों के दौरान प्रखण्ड स्तर की टीम हेतु खिलाड़ियों का चयन किया जायेगा।
- “जिला स्तरीय सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब” पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों के माध्यम से चयन कर “जिला स्तरीय खेलकूद प्रोत्साहन समिति” का गठन करेंगे।
- “जिला स्तरीय खेलकूद प्रोत्साहन समिति” जिला स्तर पर प्रखण्डों की विभिन्न खेलों की टीमों का लीग मैच आयोजित करेगी। इन मैचों के दौरान जिला स्तर की टीम हेतु खिलाड़ियों का चयन किया जायेगा।
- “प्रखण्ड स्तरीय सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब” एवं “जिला स्तरीय सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब” प्रखण्ड/जिला की खेल प्रतिभाओं को तराशने, निखारने, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करवाने हेतु विधिवत प्रयास करेंगे।
- “झारखण्ड खेल प्राधिकरण” जिला स्तरीय गठित विभिन्न खेलों की टीमों के बीच निरन्तर प्रतियोगिताएँ आयोजित करेगा। इन आयोजनों के क्रम में राज्य स्तरीय टीमों का गठन करेगा। साथ ही झारखण्ड खेल प्राधिकरण अपने संकल्प के अनुरूप खेलकूद एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु हर संभव कार्य करेगा।
- “जिला स्तरीय सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब” अपने पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों के मध्य से एक “स्टेडियम संचालन समिति” का गठन करेगी।
- “स्टेडियम संचालन समिति” अपने जिले के स्टेडियमों या अन्य खेल संरचनाओं के रख-रखाव, संरक्षण, विकास एवं अन्य गतिविधियों की जिम्मेवारियों का निर्वहन करेगी। साथ ही उसकी निम्नवत जिम्मेवारियाँ होगी:-
 - (i) उक्त समिति खेल मैदान, स्टेडियम एवं खेल भवनों का आवंटन करना, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना एवं इनका अनुरक्षण करना।
 - (ii) खेल आयोजनों को प्रोत्साहित करना।
 - (iii) खेल मैदान, स्टेडियम एवं खेल भवनों के आवंटन के लिए शुल्क तय करना और उसकी वसूली करना।
 - (iv) अन्य श्रोतों से आय बढ़ाने के उपाय करना।
 - (v) स्टेडियम एवं खेल भवनों के कतिपय हिस्से को पट्टा (लीज) पर देना (किन्तु किसी भी परिस्थिति में स्वामित्व देने का अधिकार नहीं होगा)
- विकास कार्य:- “सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब” विकास कार्य से जुड़े सभी संवैधानिक निकायों (Statutory bodies) को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करेंगे।
- “सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब” का यह सहयोग ग्राम स्तरीय आम सभा के आयोजन से लेकर विकास कार्यों से सम्बद्ध प्राक्कलन/विपत्रों/व्यय विवरणी/अंकेक्षण प्रतिवेदन आदि की आम सभा में व्याख्या करने एवं क्रियान्वित करने तक होगा।

- "सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब" केन्द्र एवं राज्य सम्पोषित विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में आम जनों को जागृत करने, उनकी नियमावलियों से सुपरिचित करवाने एवं उसके लाभ उठाने की प्रक्रिया से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाएंगे।
- "जिला स्तरीय सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब" अपने पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के ऐसे युवा सदस्यों जिनकी विकास की विभिन्न योजनाओं की नियमावलियों आदि में विशेष अभिरुचि हो उन्हें मुख्य (मास्टर) प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण करवाने की व्यवस्था करेंगे।
- प्रशिक्षण के उपरान्त "जिला स्तरीय सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब" के मास्टर प्रशिक्षक "प्रखण्ड स्तरीय सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब" के इच्छुक सदस्यों को प्रशिक्षित करेंगे। इस प्रकार प्रशिक्षण की यह प्रक्रिया ग्राम स्तर तक अपनायी जायेगी।
- कौशल विकास:- "सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब" ग्रामीण कारीगरी या अन्य हूनर में नैसर्गिक प्रतिभा या अभिरुचि लेने वाले युवाओं को चिन्हित कर विहित प्रक्रिया के तहत उच्च कोटि के प्रशिक्षण प्रदान करवाने में महती भूमिका निभायेंगे।
- "सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब" युवा कारीगरों/हूनरमन्दों के उत्पादों की डिजाइनिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग में अभिवृद्धि हेतु उपायुक्त या झारक्राफ्ट जैसी संस्था की मदद से हर संभव प्रयास करेंगे।
- अन्य लोक कल्याणकारी कार्य:- "सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब", टीकाकरण, गर्भवती-धात्री माताओं की स्वास्थ्य जागरूकता, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, नदी नालों की स्वच्छता आदि अभियानों में महती भूमिका निभायेंगे।
- "सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब" सांसद/विधायक मद से अपने गाँव/ग्राम/प्रखण्ड/ जिला मुख्यालय में पुस्तकालय एवं जिम्नाजियम हेतु भवन का निर्माण करवायेंगे। भवन निर्माण के उपरान्त इसमें "बिरसा पुस्तकालय" एवं "दिशोम जिम्नाजियम" का संचालन करेंगे। इस हेतु उपायुक्त की अनुशंसा के पश्चात् प्रतिवर्ष प्रत्येक सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब को अधिकतम 5 लाख रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जा सकती है।

10. 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब की बैठक:-

अपनी पूर्व बैठक में निर्धारित अथवा अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित स्थान एवं समय पर 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब की वर्ष में कम से कम चार बैठकें होंगी।

11. बैठक आहूत करना:-

'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब की सभी बैठकें क्लब के सचिव के हस्ताक्षर से लिखित सूचना के आधार पर आहूत की जाएगी।

12. बैठक की सूचना:-

(क) 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब की बैठक आहूत करने की प्रत्येक सूचना में बैठक की तिथि, समय एवं स्थान का उल्लेख होगा। बैठक की कार्य सूची संलग्न होगी एवं बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम-से-कम 15 दिन पूर्व 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब के सभी पदधारियों/कार्यकारिणी के सदस्यों को भेज दी जायगी। अध्यक्ष की विशेष अनुमति प्राप्त कर बैठक के 3 दिन पूर्व तक पूरक कार्य सूची भेजने पर कोई रोक नहीं होगा।

(ख) यह सूचना निबंधित डाक अथवा फैक्स अथवा ईमेल अथवा कूरियर अथवा व्यक्तिगत रूप से पंजी पर हस्ताक्षर के माध्यम से तामिल की जायगी ।

13. विलम्ब से अथवा सूचना नहीं प्राप्त होने की स्थिति में बैठक की वैधता:-

किसी पदधारी या कार्यकारिणी के सदस्य की असावधानीवश चूक के कारण सूचना से वंचित होना, अथवा सूचना की अप्राप्ति अथवा विलम्ब से सूचना प्राप्ति मात्र से बैठक की कार्यवाही अथवा उसमें लिये गये निर्णय अवैध नहीं होंगे ।

14. बैठक का सभापति एवं उसका चुनाव:-

(क) अध्यक्ष, 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब के सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उपर्युक्त दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा बैठक की अध्यक्षता करने हेतु उनमें से किसी एक सदस्य को सभापति के रूप में चयनित किया जायगा। यह चयन मात्र उसी बैठक के लिये होगी ।

(ख) 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब की किसी भी बैठक में, यदि अध्यक्ष की कुर्सी खाली हो, तो सभापति के चयन के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जायगा।

15. कोरम (गणपूर्ति)-

'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब की बैठक में पदधारियों एवं कार्यकारिणी की सदस्यों की एक तिहाई की व्यक्तिगत उपस्थिति गणपूर्ति होगी। किसी अन्य विपरीत प्रावधान के बावजूद गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के लिए स्पष्ट 7 दिन से अधिक की पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी ।

16. बैठक में निर्णय की विधि:-

(क) 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब की बैठक में सभी विवादास्पद विषयों पर निर्णय उपस्थित सदस्यों के मतदान के माध्यम से होगा।

(ख) 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब के सभी सदस्यों में प्रत्येक का एक मत होगा।

(ग) मतों के समान होने पर अध्यक्ष/सभापति का मत निर्णायक होगा।

17. 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब के पदाधिकारी:-

(क) 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब के निम्नलिखित पदाधिकारी एवं निकाय होंगे:-

(i) अध्यक्ष

(ii) उपाध्यक्ष

(iii) सचिव

(ख) 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब के सदस्य हेतु पात्रता के मापदण्ड:-

(i) वह झारखण्ड राज्य का स्थानीय निवासी (पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर) युवा हो ।

(ii) आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच हो ।

(iii) वह आपराधिक प्रवृत्ति का न हो ।

(iv) शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता होगी ।

(v) खेल, युवाकार्य, शिक्षा, समाजसेवा में उच्च योग्यता रखने वाले युवाओं को प्राथमिकता होगी ।

(vi) एन०एस०एस०/एन०सी०सी०/एन०वाई०के० आदि पृष्ठभूमि वाले युवाओं को वरीयता।

(vii) निःशक्तजन युवाओं को वरीयता ।

(viii) श्रमदान करने वाले युवाओं को वरीयता ।

(ग) कार्यकारिणी जिसके सदस्यों की संख्या **10** (दस) या उससे अधिक हो सकती है। जिनके निर्वाचन में खेलकूद, युवाकार्य, कला-संस्कृति, विकास कार्य के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले युवाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। निर्वाची सभा सर्वसम्मति से अधिकतम तीन **(3)** विशेषज्ञ/जानकार या विशिष्ट अभिरुचि रखने वाले युवाओं को कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में मनोनयन भी कर सकती है ।

(घ) सरकार द्वारा लगाये प्रतिबंधों के अधीन एवं समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देश को ध्यान में रखते हुए 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब को यह पूरा अधिकार होगा कि वह स्मृति पत्र में उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक सभी कृत्य करे। साथ ही अपने से न्यून इकाइ पर गठित 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब को हर संभव मार्गदर्शन दें ।

(ङ) 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब अपनी बैठक में वर्ष में कम-से-कम एक बार अपनी प्रगति एवं कार्यकलापों की समीक्षा करेगी ।

18. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य:-

(I) अध्यक्ष का अधिकार एवं कर्तव्य:

(क) 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब के कार्यों के सम्पादन हेतु अध्यक्ष उन सभी अधिकारों का उपयोग करेंगे जो इन नियमों के अन्तर्गत उन्हें प्राप्त हों अथवा आम सभा द्वारा समय-समय पर दिये गये हों ।

(ख) उपर्युक्त कंडिका- "क" की व्यापकता के बिना प्रतिकूल हुये अध्यक्ष के निम्न अधिकार होंगे:-

(i) 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब से संबंधित कोई भी सूचना, कागजात अथवा आंकड़ा मांगना,

(ii) 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब' के कार्य एवं प्रगति की समीक्षा करना,

(iii) 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब के हित में किसी भी पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य या उप समिति को ऐसा निदेश या आदेश देना, जिसे वह आवश्यक समझें,

(iv) 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब के कार्यकलापों की जाँच एवं उससे संबंधित प्रतिवेदन देने हेतु उपसमिति या जाँच समिति की नियुक्ति और ऐसा आदेश पारित करना जो वह उचित समझें और

(v) आवश्यकता पड़ने पर उचित माध्यम से सूचना देकर क्लब की बैठक किसी भी समय बुलाने का निदेश देना।

(ग) अध्यक्ष, सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब के उपअध्यक्ष को लिखित रूप से अपने कुछ अधिकारों को सौंप सकते हैं जिन्हें वह आवश्यक समझें ।

(II) उपाध्यक्ष के अधिकार:-

उपाध्यक्ष उन अधिकारों का उपयोग करेंगे जो उन्हें अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर विशेष रूप से प्रदत्त किया जायें ।

उपाध्यक्ष 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब' के सचिव या कार्यकारिणी के किसी सदस्य को लिखित रूप से अपने उन अधिकारों को दे सकेंगे जिन्हें वह आवश्यक समझें।

(III) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य:-

(क) सचिव सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का उपयोग करेंगे जो इन नियमों के अन्तर्गत उनको प्रदान किये गये हैं अथवा जो उन्हें समय-समय पर प्रत्यायोजित किया जायें।

(ख) सरकार/उपायुक्त, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेश एवं क्लब के निर्णयों के अधीन क्लब के सचिव के रूप में उनकी जिम्मेवारी होगी-

- (i) 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब' के कार्यों एवं निधि का समुचित प्रशासन,
- (ii) 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब' के सभी गतिविधियों का सामान्य पर्यवेक्षण, एवं समन्वयन,
- (iii) 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब' द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब की तरफ से सभी अनुबंधों, विलेखों एवं अन्य प्रपत्रों का लेखन।

(ग) कार्यकारिणी के सदस्य:-

- (i) कार्यकारिणी के निर्वाचित/मनोनीत **10** (दस) या अधिक सदस्य हो सकते हैं। अगर आम सभा उचित समझे तो विभिन्न गतिविधियों (सांस्कृतिक, सामाजिक, खेलकूद, कला, विकास कार्य) से विशेष रूप से जुड़े या विशेषज्ञ युवा का सदस्य के रूप में मनोनयन भी कर सकती हैं।
- (ii) कार्यकारिणी के सदस्य क्लब की बैठक में उपस्थित हो कर प्रदत्त भूमिका का निर्वहन करेंगे।
- (iii) वे उपसमितियों के पदाधिकारी या सदस्य के रूप में प्रदत्त जिम्मेवारी का वहन करेंगे।
- (iv) वे क्लब के मूल उद्देश्यों से जुड़ी हर गतिविधि हेतु सुझाव दें, सामान्य पर्यवेक्षण करेंगे, एवं अपनी विशेषज्ञता से समुचित मार्गनिर्देशन देंगे।

19. 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब' का कोष

(क) 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब' के कोष में निम्नलिखित शामिल होगा:

- (i) झारखण्ड सरकार, द्वारा उपायुक्त के माध्यम से प्राप्त अनुदान। यह अनुदान की राशि ग्राम स्तरीय सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लबों के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम **25** हजार रुपये तक हो सकती है।
- (ii) 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब' को प्राप्त दान, भेंट एवं अन्य प्रकार से प्राप्त आय,
- (iii) 'बिरसा पुस्तकालय' एवं 'दिशोम जिम्नाजियम' हेतु माननीय विधायक/माननीय सांसद मद से प्राप्त राशि से भवन निर्माण के उपरांत एवं उपायुक्त की अनुशंसा के बाद प्रतिवर्ष अधिकतम **5** लाख की अनुदान राशि।

- (iv) स्टेडियम, जिम्नेजियम, खेल भवनों, आवासीय एवं अन्य भवनों, खेल सुविधाओं के पट्टा एवं किराया पर देने से आय, टिकट बिक्री, विज्ञापन अधिकार का विक्रय, प्रकाशनों, पुस्तिका, पदक, स्मारिका आदि की बिक्री एवं खेल सुविधाओं के उपयोग से आय,
- (v) निवेश से आय,
- (vi) किसी अन्य श्रोत से प्राप्त आय ।

20. बैंकिंग व्यवस्था

- (क) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं इसके सहायक और/अथवा अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक, 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब का बैंकर होगा। 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब द्वारा प्राप्त सभी राशि उक्त बैंक में क्लब द्वारा संचालित बैंक खाते में जमा की जायगी।
- (ख) क्लब के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त नाम से बैंक खाता खोला जायगा। किन्हीं एक के हट जाने/सदस्यता भंग होने की स्थिति में संबंधित बैंक को इसकी सूचना देकर खाता में नामांतरण करवा लिया जायगा। 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब के लेखा से किसी भी राशि की निकासी वैसे चेक जिसपर 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के हस्ताक्षर हों से ही की जायगी।

21. अंकेक्षण:-

- (क) महालेखाकार, झारखण्ड के परामर्श से झारखण्ड सरकार द्वारा तय की गयी व्यवस्था के आलोक में जिला के उपायुक्त 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब की लेखा का नियमित अंकेक्षण करवायेंगे।

22. कानूनी कार्रवाई:-

'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब द्वारा अथवा इसके विरुद्ध कोई विधीक कार्रवाई 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब के विशिष्ट नाम-पता से होगी।

नोट:- जिला/प्रखण्ड/ग्राम स्तरीय 'सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लबों का पंजीकरण संस्था निबंधन अधिनियम-1860 (Society Registration Act-1860) के तहत किया जाना है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव
